

FORM-I
(For Linear Project)
Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
Mirzapur

No. 24/ जे.प्र. व. व. लि. / एन. एच. 305 / मो. व. ग. 30 / 2018

Dated 09.05.18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intimated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes lead with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 131.0175 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India for construction of 4-lane at Mirzapur district within in the jurisdiction of following villages in Sadar and Lalganj Tehsil.

Sl. No	Tehsil	Village Name	Type of Forest Land PF/RF	Area in Hectare
1	Sadar	Umariya	RF	0.5924
2		Mohanpur(Bhavrakh)	RF	0.4155
3		Varkachha Kala	PF	0.1320
4		Ahmalpur	PF	0.2200
5		Samogra	PF	2.8160
6		Tand	PF & RF	4.4167
7		Karanpur	PF & RF	15.3004
8	Lalganj	Pangar	PF	1.3640
9		Pandeypur Kalan	PF & RF	3.1218
10		Rajapur	PF	3.7180
11		Gangharakhurd	PF	0.6116
12		Lahangpur	PF	0.6864
13		Baami	PF	4.3780
14		Tulsi	PF	3.3880
15		Nadni	PF & RF	2.5216
16		Semrapratap singh	PF & RF	1.2672
17		Semra Araj	PF	1.1748
18		Mishrapur	PF	1.5070
19		Chahur Majhgava	PF & RF	1.8674
20		Patulki	PF & RF	1.2184
21		Bashi Khurd	RF	0.0252
22		Bastara Raja	PF	1.2540
23		Bastara Pandey	PF	0.6600
24		Patehra Raja	PF	0.6072
25		Patehra Pandey	PF	1.6720
26		Khairahi	PF	1.5928
27		Cheruiram Jailal	PF	2.4904
28		Tendui	PF	0.9240



29		Rechhari	PF	1.2628
30		Semari Khurd	PF	0.8360
31		Gambhirapur Raja	PF	0.1496
32		Babura Bhairo Dayal	PF	2.9040
33		Atrailashivgulam No. 2	PF	0.4928
34		Atraila Raja	PF	1.1352
35		Atrailashivgulam No. 3	PF	0.2728
36		Khairabhabhuta Prasad	PF	0.3344
37		Parsiya Gokul	PF	3.4804
38		Baraundha	PF	3.8566
39		Mahuat	PF	7.0576
40		Nari Kathari	PF & RF	7.3928
41		Maheshpur	PF	6.5120
42		Durjanipur	PF	1.7160
43		Devhut	PF & RF	11.3011
44		Mahugarhi	PF & RF	1.5329
45		Babura Raghunath Singh	PF & RF	3.9023
46		Katra	PF	6.9740
47		Bhaisorbalayipahad	PF & RF	9.9614
		Total		131.0175

- (a) It is further certified that: The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 131.0175 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-I to annexure- III.
- (b) The proposals for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gramsabha of forest dwellers who are eligible under the FRA.
- (c) The right of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (d) Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as section 3(1) (e) of FRA.

Encl: As above

District Social Welfare Officer
Mirzapur

(Full Name and official seal of the District Collector)

Signature

जिलाधिकारी
मीरजापुर

जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 09/5/2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

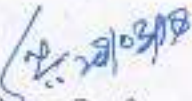
उक्त बैठक में भारत सरकार के राइक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राइक परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के (वाराणसी - ठुमना सेक्शन किमी0 15.100 से किमी0 140.200), तक चौड़ा करने/चार लेन के निर्माण हेतु प्रयोग की जाने वाली 131.0175 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निराकरण के सम्बन्ध में उक्त खण्ड स्तरीय समिति सदस्य व लालगंज तहसीलकी बैठक में लिए गए निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। तद्विषय सदस्य लालगंज के प्रभावित ग्रामों की सूची निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	वन भूमि का प्रकार संरक्षित / आरक्षित	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	सदर	उमरिया	आरक्षित	0.5924
2		मोहनपुर भवरख	आरक्षित	0.4155
3		बरकछा कला	संरक्षित	0.1320
4		अडगलपुर	संरक्षित	0.2200
6		समोगरा	संरक्षित	2.8160
6		टौंड	संरक्षित तथा आरक्षित	4.4167
7		करनपुर	संरक्षित तथा आरक्षित	15.3004
8	लालगंज	पगार	संरक्षित	1.3640
9		पाण्डेयपुरकला	संरक्षित तथा आरक्षित	3.1218
10		राजापुर	संरक्षित	3.7180
11		गंगठरा खुर्द	संरक्षित	0.6116
12		लहंगपुर	संरक्षित	0.6864
13		बानी	संरक्षित	4.3780
14		तुलसी	संरक्षित	3.3880
15		नदनी	संरक्षित तथा आरक्षित	2.5216
16		सेमरा प्रताप सिंह	संरक्षित तथा आरक्षित	1.2672
17		सेमरा आराजी	संरक्षित	1.1748
18		मिश्रपुर	संरक्षित	1.5070
19		छाहुर मझगर्वी	संरक्षित तथा आरक्षित	1.8674
20		पतुलकी	संरक्षित तथा आरक्षित	1.2184
21		मराही खुर्द	आरक्षित	0.0252
22		वस्तरा राजा	संरक्षित	1.2540
23		बस्तरा पाण्डे	संरक्षित	0.6600
24		पटेहरा राजा	संरक्षित	0.6072
25		पटेहरा पाण्डे	संरक्षित	1.6720
26		खैरती	संरक्षित	1.5928
27		चेरुईरामजैलाल	संरक्षित	2.4904
28		तेन्दुई	संरक्षित	0.9240
29		रेचकारी	संरक्षित	1.2628
30		सेमरी खुर्द	संरक्षित	0.8360

31	गम्भीरापुर राजा	संरक्षित	0.1496
32	बबुरा मैरी दयाल	संरक्षित	2.9040
33	अतरेलाशिवगुलाम न. 2	संरक्षित	0.4928
34	अतरेला राजा	संरक्षित	1.1352
35	अतरेलाशिवगुलाम न. 3	संरक्षित	0.2728
36	छैरामनूता प्रसाद	संरक्षित	0.3344
37	परसिया गोकुल	संरक्षित	3.4804
38	बरीधा	संरक्षित	3.8566
39	महुअट	संरक्षित	7.0576
40	नैडी कठारी	संरक्षित तथा आरक्षित	7.3928
41	महेशपुर	संरक्षित	6.5120
42	दुर्जनीपुर	संरक्षित	1.7160
43	देवहट	संरक्षित तथा आरक्षित	11.3011
44	महुगढ़ी	संरक्षित तथा आरक्षित	1.5329
45	बदुरारधुनाथसिंह	संरक्षित तथा आरक्षित	3.9023
46	कटरा	संरक्षित	6.9740
47	भैसौड़वलायपहाड	संरक्षित तथा आरक्षित	9.9614
		कुल	131.6175

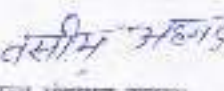
उक्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि सदर व सातगंज तहसील अन्तर्गत 131.6175 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग संख्या 7 के (वाराणसी - हनुमान रोवशन किमी 15.100 से किमी 140.200), तक चौड़ा करने/चार लेन के निर्माण में गैरव्यावसायिक प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)


प्रमाणित पनाधिकारी
मीरजापुर
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

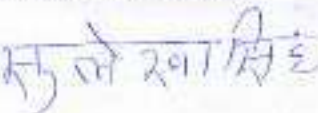

जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिला पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)


जिला पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिला अधिकारी
मीरजापुर

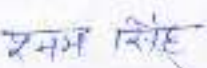
जिला पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)


सुलेखा सिंह

सुलेखा सिंह
जिला पंचायत सदस्य
विकास खण्ड पहाड़ी (3)
मीरजापुर

आरती सिंह
आरती सिंह
जिला पंचायत सदस्य
वि०खंड-सीटी-3, मीरजापुर
21/05/2021




प. सिंह

कृ. ल. मती देवी
सदस्य जिला पंचायत
ब्लाक सिटी-4
मीरजापुर (उ० प्र०)

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 15.3.2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के (वाराणसी - हनुमाना सेक्शन किमी० 15.100 से किमी० 140.200), तक चौड़ा करने/चार लेन के निर्माण हेतु प्रयोग की जाने वाली 24.2254 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। तहसील सदर के प्रभावित ग्रामों की सूची निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	वन भूमि का प्रकार संरक्षित / आरक्षित	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	सदर	उमरिया	आरक्षित	0.5924
2		मोहनपुर	आरक्षित	0.7479
3		बरकछा कलां	संरक्षित	0.1320
4		अहमलपुर	संरक्षित	0.2200
5		समौगरा	संरक्षित	2.8160
6		टौंड	संरक्षित तथा आरक्षित	4.4167
7		करनपुर	संरक्षित तथा आरक्षित	15.3004
			कुल	24.2254

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि सदर तहसील अन्तर्गत 24.2254 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग संख्या 7 के (वाराणसी - हनुमाना सेक्शन किमी० 15.100 से किमी० 140.200), तक चौड़ा करने/चार लेन के निर्माण में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

 सहायक विभागीय अधिकारी (संक.) (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)	 क्षेत्रीय वनाधिकारी दिग्दर्शनपाल (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)	 क्षेत्रीय वनाधिकारी सदर (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)	 उप जिलाधिकारी, सदर (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)
--	---	---	--

क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

कुसुम

राजेश कुमार
क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

राजू कुमार

अमर कुमार लोदी

क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

दीपक कुमार

मनोज कुमार



उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 21.3.2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के (पराणसी - हनुमना सेक्शन किमी 15.100 से किमी 140.200), तक चौड़ा करने/चार लेन के निर्माण हेतु प्रयोग की जाने वाली 107.4941 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। तहसील जालगंज के प्रभावित ग्रामों की सूची निम्नलिखित है।

क्र. संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	वन भूमि का प्रकार संरक्षित / आरक्षित	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	लालगंज	पगार	संरक्षित	1.3640
2		पाण्डेयपुरकला	संरक्षित तथा आरक्षित	3.1218
3		राजापुर	संरक्षित	3.7180
4		गंगहरा खुर्द	संरक्षित	0.6116
5		लहंगपुर	संरक्षित	0.6864
6		बागी	संरक्षित	4.3780
7		तुलसी	संरक्षित	3.3880
8		नदनी	संरक्षित तथा आरक्षित	2.5216
9		सेमरा प्रताप सिंह	संरक्षित तथा आरक्षित	1.6368
10		सेमरा आराजी	संरक्षित	1.1748
11		मिश्रपुर	संरक्षित	1.5070
12		छाहुर मझगवाँ	संरक्षित तथा आरक्षित	1.8674
13		पतुलकी	संरक्षित तथा आरक्षित	1.2184
14		बसही खुर्द	आरक्षित	0.0252
15		बस्तारा राजा	संरक्षित	1.2540
16		बस्तारा पाण्डे	संरक्षित	0.6600
17		पट्टेहरा राजा	संरक्षित	0.6072
18		पट्टेहरा पाण्डे	संरक्षित	1.6720
19		खैरही	संरक्षित	1.5928
20		चैरुईरामजैलाल	संरक्षित	2.4904
21		तेन्दुई	संरक्षित	0.9240
22		रेचकारी	संरक्षित	1.2628
23		सेमरी खुर्द	संरक्षित	0.8360
24		गम्भीरापुर राजा	संरक्षित	0.1496
25		बबुरा मैरा दखाल	संरक्षित	2.9040
26		अतरैलाशिवगुलाम न. 2	संरक्षित	0.4928
27		अतरैला राजा	संरक्षित	1.1352
28		अतरैलाशिवगुलाम न. 3	संरक्षित	0.2728
29		खैरामभूता प्रसाद	संरक्षित	0.3344

30		परसिया गोकुल	संरक्षित	3.4804
31		बरीधा	संरक्षित	3.8566
32		महुअट	संरक्षित	7.0576
33		मैडी कठारी	संरक्षित तथा आरक्षित	7.3928
34		महेशपुर	संरक्षित	6.5120
35		दर्जनीपुर	संरक्षित	1.7160
36		देवहट	संरक्षित तथा आरक्षित	11.3011
37		महुगढी	संरक्षित तथा आरक्षित	1.5329
38		बनुराधुनाथसिंह	संरक्षित तथा आरक्षित	3.9023
39		कटरा	संरक्षित	6.9740
40		मैसीखवलाथपहाड़	संरक्षित तथा आरक्षित	9.9614
		कुल		107.4941

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि लालमंज तहसील अन्तर्गत 107.4941 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग संख्या 7 के (वाराणसी - हनुमाना सेक्शन किमी 15.100 से किमी 140.200), तक चौड़ा करने/चार लेन के निर्माण में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

19.3.18
सहायक विकास अधिकारी (संरक्षण)
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बालगंगा
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हनुमानगंज
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

21.3.18
उप जिलाधिकारी, लालमंज
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)



क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)



क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
लालमंज, मीरजापुर

Basant Singh
क्षेत्र पंचायत सदस्य
वार्ड सं-12, बलरी
हलिया, मीरजापुर

निर्माणा
प्राधिकरण
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

महेशपुर
क्षेत्र पंचायत सदस्य
महुगढी
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)



मीरजापुर/दुर्गमपुर
क्षेत्र पंचायत सदस्य
मैडीकठारी/महुगढी
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

शंकर लाल
श्रीरंग सदाय
गंगापुर

Amal Kumar
श्रीरंग सदाय
गंगापुर

पुष्पा
श्रीरंग सदाय
गंगापुर

दिनेश कुमार
श्रीरंग सदाय
गंगापुर

विष्णु भास्कर
श्रीरंग सदाय
गंगापुर